

अज अदालत..... मुकाम.....

बनाम
डा. कराराम विधानाराम कोटा
किस्म मुकदमा..... नं. 45 सन् 2018
रा. 31947
111,128 RLB ML-

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
6.2.18	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा राजस्थान काश्तकारी/भू राक्षस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। सिप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक को पेश हो।</p>	
14/02/18	<p>प्रार्थी कड़ी उपस्थित। सिप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल बुझा प्राप्त जिसे वामिल पत्रावली विधा गया। सिप्रार्थीगण वाव बुझ वामिल अनु उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता भी एडवोकेट वकालत सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने वकालत की प्रार्थी को अपने खातेगारी खेतों के चारों ओर पन्ने नैयाम स्थापित उवाना वाव बुझ के इस्लिये प्रार्थी के नैयामवनी फावेडन स्वीकार किया जाइए नैयामवनी फावेडन किया जाके। अतः प्रार्थी का नैयामवनी फावेडन स्वीकार किया जाइए तहमीलगत वाव बुझ को इमिशन नियुक्त किया जातु है व फावेडन किया जातु है कि माय स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी व. अधिलेख निरिसुत से प्रार्थी के खातेगारी खेतों की पन्नी नैयामवनी को बुझ जमडाइए उदे पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर वामिल पत्रावली की पत्रावली जैयल बुझ दी उज नम्बर व उम की डायिल इम्पल है।</p>	

सहायक क्लर्क (SDA)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/बाद/2018/ 92
प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

दिनांक-14-2-18

1. टाकराराम पुत्र कानाराम वगैरा
3 जाति जाट निवासी बाटाडू,
तह. बायतु जिला बाड़मेर

1. विशनाराम पुत्र राजूराम वगैरा 4
जाति जाट निवासी बाटाडू, तह.
बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 45/18

आदेश

मौजा बाटाडू पटवार हल्का बाटाडू के खेत खसरा नम्बर 1789/1538 रकबा 24.01 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू-अनिरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु/गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



विश्वनाथ चौहान (S.D.O.)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक-14-2-18

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री टाकराराम पुत्र कानाराम वगैरा 3।
4. विप्रार्थीगण श्री विशनाराम पुत्र राजूराम वगैरा 4।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु/गिड़ा।

विश्वनाथ चौहान (S.D.O.)
उपखण्ड अधिकारी बायतु